

प्रेस विज्ञप्ति

सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं का वार्षिक नवीनीकरण आवश्यक

अपने PMJJBY और PMSBY पॉलिसियों का नवीनीकरण करें

चंडीगढ़, 30 मई: श्री रामकिशोर मीना, उप महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स' समिति (SLBC), पंजाब ने जनता से आवाहन किया है कि वे भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं – प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत अपने बीमा संरक्षण का समय पर नवीनीकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि ये योजनाएँ अत्यंत किफायती प्रीमियम दरों पर व्यक्तियों और उनके परिवारों को महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं।

PMJJBY के लाभों का उल्लेख करते हुए श्री मीना ने कहा कि यह योजना किसी भी कारण से बीमा कवर के तहत व्यक्ति के निधन पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है। यह योजना 18 से 50 वर्ष आयु समूह के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है और इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपए है। बीमा कवरेज 1 जून से 31 मई तक वैध रहता है और हर साल नवीनीकरण किया जा सकता है।

इसी प्रकार, PMSBY के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष आयु के व्यक्ति मात्र 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का आकस्मिक बीमा कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना आकस्मिक मृत्यु या आकस्मिक अशक्तता की स्थिति में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करती है।

श्री मीना ने पॉलिसीधारकों से अनुरोध किया कि प्रीमियम के स्वचालित डेबिट के लिए अपने बैंक खातों में पर्याप्त शेष रखें ताकि कवरेज में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। उन्होंने लाभार्थियों को पॉलिसी की स्थिति, नामांकन या नवीनीकरण सहायता के संबंध में जानकारी के लिए अपने संबंधित बैंक शाखाओं से संपर्क करने की भी सलाह दी।

पॉलिसीधारकों के लिए प्रमुख सलाह:

- प्रीमियम ऑटो-डेबिट के लिए अपने बैंक खाते में पर्याप्त शेष रखें।
- पॉलिसी-संबंधी जानकारी और नवीनीकरण सहायता के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
- बिना रुकावट वाले बीमा कवरेज के लिए समय पर अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण करें।

सुरक्षित परिवार, सुरक्षित भविष्य

आज ही अपने PMJJBY और PMSBY पॉलिसियों का नवीनीकरण करें!
